रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062024-254983
CG-DL-E-27062024-254983

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 27, 2024/आषाढ 6, 1946
No. 327] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 27, 2024/ASHADHA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2024

सं. 12/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 350(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित '401 व्यास (99 एम एम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट' (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तुओं' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 83099090 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना संख्या 6/1/2023-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, एवं अधिसूचना संख्या 6/1/2023-डीजीटीआर दिनांक 22 मई, 2024 के तहत जारी शुद्धिपत्र के साथ पठित, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।, खंड 1 में दिनांक 22 मई, 2024, को प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि;

(i) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तुओं जो कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित हैं और भारत में आयातित हैं, के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, निर्धारण तथा प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट अधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं जो नीचे की शुल्क तालिका कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट हैं, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों के द्वारा निर्यातित हैं, जो कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित **राशि** के समान, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

शुल्क तालिका

क्र.सं.	**टैरिफ मद/शीर्षक**	**विवरण**	**उद्‌गम देश**	**निर्यात का देश**	**निर्माता**	**शुल्क की राशि**	इकाई	मुद्रा
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	83099090	इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट के आसानी से खुलने वाले सिरे, आयाम में' 401 व्यास (99 एम एम) और 300 व्यास (73 एमएम) *	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	कोई	741	लाख पीसी	यूएससडी
2	-वही -	-वही -	चीन पीआर के अलावा कोई भी देश	चीन पीआर	कोई	741	लाख पीसी	यूएससडी

नोट 1 - पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं ;

क) आसान खुले सिरे जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे अल्युमीनियम, टिन मुक्त शीट आदि।

ख) किसी भी मेक/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य आयाम वाले आसान खुले सिरे।

ग) किसी भी बनावट और आयाम के आंशिक या छोटे एपर्चर के आसान खुले सिरे।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/3/2024-टीओ (टीआरयू-I)]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2024

No. 12/2024-Customs (ADD)

G.S.R. 350(E).—Whereas in the matter of 'Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 83099090 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification F. No. 6/1/2023-DGTR, dated the 28th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th March, 2024, read with Corrigendum issued *vide* notification F. No. 6/1/2023-DGTR, dated the 22nd May, 2024 has come to the conclusion that—

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country at dumped prices;

(ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject country;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, imposes a definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column (7), in the currency as specified in corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the Table below for a period of five years, namely:-

TABLE

Sl.N	Heading / Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	83099090	Easy open ends of tin plate, including	China PR	Any country including China	Any	741	Lakh Pcs.	USD

		electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension*		PR				
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	741	Lakh Pcs.	USD

**Note-1:* *The followings are not covered in the scope of product:*

a) Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminium, tin free sheet etc.

b) Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material.

c) Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC- 190349/3/2024-TO(TRU-I)]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA